न्यायालय अंचल अधिकारी, काँके (राँची)

विविध वाद संख्या– 09 / 2022–23

रोशन मुण्डा एवं अन्य .... वादी

बनाम्

रामलाल साहु एवं अन्य ....प्रतिवादी

विषयः– जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। मौजा– हुजीर

आदेश पत्रक

कार्रवाई के आदेश की तिथि	न्यायालय के आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यालय आदेश एवं दिनांक
23/04/22	उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, राँची के पत्रांक– 873 / गो0, दिनांक– 22.04.2022 में उल्लेखित है कि दैनिक अखबार आजाद सिपाही में **"अपनी जमीन के लिए भटक रहा है आदिवासी परिवार"** शीर्षक देते हुए खबर का प्रकाशन किया गया है जिसमें मौजा– हुजीर, खाता सं0– 51, प्लॉट सं0– 26, 106, 368 एवं 369, रकबा क्रमशः– 73 डी0, 40 डी0, 46 डी0 एवं 50 डी0, कुल रकबा– 2.09 एकड़ भूमि बिगवा मुंडा के नाम है। उक्त भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। परन्तु साजिश के तहत् उक्त जमीन को द्वितीय पक्ष के द्वारा अवैध तरीके से अपने नाम करा लिया गया है। इस संबंध में रोशन मुण्डा एवं सागर मुण्डा पिता– सिबु मुण्डा, पता– हुजीर, थाना– पिठोरिया, जिला– राँची के द्वारा आवेदन प्राप्त है। उक्त आवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष उपस्थित हुए। वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा कागजात समर्पित किया गया। प्राप्त कागजात के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। 23/04/22 अंचल अधिकारी, काँके, राँची।	
25/07/22	अभिलेख उपस्थापित। प्राप्त कागजात के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री रोशन मुण्डा वो सागर मुण्डा पिता श्री सिबु मुण्डा, ग्राम– हुजीर, पो0– हुन्दूर, थाना– पिठोरिया, जिला– राँची ने खतियानी रैयत बिगुवा मुण्डा की जमीन को साजिस के तहत् पन्ना फटने के कारण दिखाकर रामलाल साहु का नाम पंजी ॥ में दर्ज करने और गैर–आदिवासियों को बिक्री किये जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् हैः– • **सर्वे खतियान के अनुसारः–** मौजा– हुजीर के राजस्व कागजातों के अनुसार खाता सं0– 51, प्लॉट सं0– 26, 106, 368 वो 369, रकबा क्रमशः– 73 डी0, 40 डी0, 46 डी0 वो0 50 डी0, कुल रकबा– 2.09 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बीगुवा मुण्डा पिता करमा मुण्डा के नाम से नौकराना वास्ते करने काम कोटवारी से मिला दर्ज है। • **राजस्व पंजी ॥ के अनुसारः–** मौजा– हुजीर के खाता सं0– 51, कुल रकबा– 2.09 एकड़ भूमि पंजी ॥ के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 51 में बीगुवा मुण्डा पिता करमा मुण्डा के नाम से दर्ज है। जिसका कैफियत कॉलम में नौकराना दर्ज है। मूल पंजी ॥ में बीगुवा मुण्डा पिता करमा मुण्डा के नाम को घेरकर रामलाल साहु पिता माढू राम साहु के नाम से दर्ज किया गया है एवं नौकराना को काट दिया गया है। वो ऑनलाईन पंजी ।। के भाग 2 पृष्ट 171 में रामलाल साहु पिता माढु राम साहु जाति	

Scanned with CamScanner

तेली के नाम से दर्ज है जिसका कैफियत कॉलम में पन्ना फटने का कारण दर्शाया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि वर्त्तमान पंजी II रैयत रामलाल साहु पिता माढ़ू राम साहु का नाम छेड़छाड़ कर पंजी II के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 51 दर्ज किया गया है। जिसका कैफियत कॉलम में कोई आधार दर्ज नहीं है। जिससे उक्त जमाबंदी फर्जी प्रतीत होता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा पंजी II के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 51 में रामलाल साहु पिता माढ़ू राम साहु के नाम से दर्ज जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पंजी II के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 51 एवं भाग संख्या 2 पृष्ट संख्या 171 में रामलाल साहु पिता– माढ़ू राम साहू के नाम से दर्ज जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख उप समाहर्ता, भूमि सुधार सदर राँची, को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
25/07/22
काँके, राँची।

अंचल अधिकारी,
25/07/22
काँके, राँची।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी,

काँके, राँची।

विषयः— **श्री रोशन मुण्डा वो सागर मुण्डा पिता श्री सिबु मुण्डा ग्राम— हुजीर, पो0— हुन्दुर, थाना— पिठोरिया, जिला— राँची के संबंध में।**

प्रसंगः— **उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के पत्रांक— 1895(ii)/भु0सू0, दिनांक— 13.06.2022 के आलोक में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि श्री रोशन मुण्डा वो सागर मुण्डा पिता श्री सिबु मुण्डा, ग्राम— हुजीर, पो0— हुन्दूर, थाना— पिठोरिया, जिला— राँची ने खतियानी रैयत बिगुवा मुण्डा की जमीन को साजिस के तहत् पन्ना फटने के कारण दिखाकर रामलाल साहु का नाम पंजी II में दर्ज करने और गैर—आदिवासियों को बिक्री किये जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् हैः—

प्र.२१
25/07/22

- सर्वे खतियान के अनुसारः— मौजा— हुजीर के राजस्व कागजातों के अनुसार खाता सं0— 51, प्लॉट सं0— 26, 106, 368 वो 369, रकबा क्रमशः— 73 डी0, 40 डी0, 46 डी0 वो0 50 डी0, कुल रकबा— 2.09 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बीगुवा मुण्डा पिता करमा मुण्डा के नाम से नौकराना वास्ते करने काम कोटवारी से मिला दर्ज है।
- राजस्व पंजी II के अनुसारः— मौजा— हुजीर के खाता सं0— 51, कुल रकबा— 2.09 एकड़ भूमि पंजी II के भाग सं0— 1, पृष्ट सं0— 51 में बीगुवा मुण्डा पिता करमा मुण्डा के नाम से दर्ज है। जिसका कैफियत कॉलम में नौकराना दर्ज है। मूल पंजी II में बीगुवा मुण्डा पिता करमा मुण्डा के नाम को घेरकर रामलाल साहु पिता माढ़ू राम साहु के नाम से दर्ज किया गया है एवं नौकराना को काट दिया गया है वो ऑनलाईन पंजी II के भाग 2 पृष्ट 171 में रामलाल साहु पिता माढु राम साहु जाति तेली के नाम से दर्ज है जिसका कैफियत कॉलम में पन्ना फटने का कारण दर्शाया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि वर्त्तमान पंजी II रैयत रामलाल साहु पिता माढू राम साहु का नाम छेड़छाड़ कर पंजी II के भाग सं0— 1, पृष्ट सं0— 51 दर्ज किया गया है। जिसका कैफियत कॉलम में कोई आधार दर्ज नहीं है। जिससे उक्त जमाबंदी फर्जी प्रतीत होता है।

अतः पंजी II के भाग सं0— 1, पृष्ट सं0— 51 एवं भाग संख्या 2 पृष्ट संख्या 171 में रामलाल साहु पिता माढू राम साहु के नाम से दर्ज जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

रा0 उप निरीक्षक	अंचल अमीन	अंचल निरीक्षक काँके।

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.08 14:12:08 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner